

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

लिखवाई

म/ सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 211 / 2024

--:आदेश :-

दिनांक :- 14/10/2024

प्रार्थी

लिखवाई

पुत्री

श्री युन्नीबाल

जाति... कांकी... निवासी शेखावत... तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम शेखावत की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 के खाता सं. 217 में दर्ज अशुद्ध नाम लिखवाई पुत्री युन्नीबाल जाति कांकी निवासी शेखावत का शुद्ध नाम लिखवाई पुत्री युन्नीबाल जाति शेखावत निवासी शेखावत की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का

इतरावेग

इतरावेग के अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Wd ✓  
उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा